न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्चना बुगालिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 48 / 2018
दायर दिनांक : 25 / 09 / 2018
निर्णय दिनांक : 12 / 09 / 2023

उनवान

1. अम्बालाल पिता हंसराज मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
2. मोहनलाल पिता हंसराज मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पिता प्यारा मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
2. तुलसीराम पिता हरलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
3. मोहनलाल पिता किशनलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
4. महेश पिता किशनलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
5. मांगीलाल पिता मगनीराम मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
6. कालूराम पिता केसुराम मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
7. मु. नोजी बेवा केसुराम मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
8. रमेश पिता किशनलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
9. सुमित्रा पिता किशनलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
10. नारायणी बेवा किशनलाल मेनारिया (ब्राहम्ण) नि. चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
11. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री ललित झंवर, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम चोरवडी तहसील भूपालसागर के आ.सं. 1104 रकबा 0.44 है. आराजियात स्थित है जिसमें 11/44 वां हिस्सा हम वादीगणों का है व बकाया प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 10 तक का है। उक्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की होकर संयुक्त कब्जे की है। प्रतिवादीगणों द्वारा वादीगणों को उसके हिस्से से बेदखली का नाजायज प्रयास किया जा रहा है व कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन कराये निर्माण व विक्रय पर [illegible] वादीगण उक्त आराजियात में स्थित हमारा 11/44 वां हिस्सा जरिये विभाजन बा[illegible] बाउण्ड्स अलग करा जमाबंदी में पृथक खातेदारी व लगानबंदी [illegible] बंटवाडे दिया जावे उस पर तनाह कब्जा भी पाने के अधिका[illegible] आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का प्[illegible] डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमि[illegible] डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2022 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़[illegible] मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, आकोला के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2023/832 दिनांक 17.08.2023 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.12 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested

जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	अम्बालाल पिता हंसराज ब्रा. 1/2 मोहनलाल पिता हंसराज ब्रा. 1/2 सा. देह खातेदार	1104/1 1104/2	0.0700 0.0300
	योग	2	0.1000 है.
2	कालूराम पिता केशुराम ब्रा. 135/340 हि. तुलसीराम पिता हरलाल ब्रा. 355/3400 हि. नारायणीदेवी पत्नी किशनलाल ब्रा. 138/3400 हि. महेशचन्द्र पिता किशनलाल ब्रा. 838/3400 हि. मांगीलाल पिता मगनीराम ब्रा. 45/3400 हि. रमेशचन्द्र पिता किशनलाल ब्रा. 137/3400 हि. सुमित्रा पत्नी किशनलाल ब्रा. 137/3400 हि. अम्बालाल पिता हंसराज ब्रा. 1/68 हि. मोहनलाल पिता हंसराज ब्रा. 1/68 हि.	1104 मी.	0.3400
	योग	1	0.3400 है.

उक्त आराजियात में मौके पर बीच में रास्ता छोड़ते हुऐ मकान एवं बाडे इत्यादि बने हुऐ हैं। आराजी संख्या 1104 रकबा 0.4400 है. में जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज खातेदारान से इतर व्यक्तियों के मकानात का क्षेत्रफल प्रार्थीगण का हिस्सा मानते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.01.12 15:23:31 IST
Reason: SelfAttested